25.10.2025 परिवादी द्वारा श्री अरूण अहिरवार अधिवक्ता उपस्थित।
अभियुक्त विशुननाथ सह श्री राकेश चौबे अधिवक्ता उपस्थित।
प्रकरण निर्णय हेतु नियत है।
प्रकरण में अंतिम तर्क श्रवण किये गये।
प्रकरण निर्णय हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।

(श्रीति अतुलकर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दतिया म0प्र0

SHRITI ATULKAR
Digitally signed by SHRITI ATULKAR
Date: 2025.10.25 17:22:08 +0530

पुनश्चः–

पक्षकार पूर्ववत्।
प्रकरण निर्णय हेतु नियत है।

निर्णय पृथक से टंकित कर खुले न्यायालय में घेषित, दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया। निर्णय अनुसार– **<u>अभियुक्त विशुननाथ अहिरवार पुत्र श्री शिवचरन उम्र 48 वर्ष निवासी– ग्राम महाराजपुरा पोस्ट रेड़ा तहसील– दतिया म0प्र0</u>** को धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अपराध में **01 वर्ष** का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि चैक में वर्णित राशि 2,49,000/– रूपये पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज राशि– 70965/–रूपये, न्यायालय शुल्क 10,960/– रूपये एवं अन्य व्यय 5000/–रूपये की प्रतिपूर्ति हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा (357)3 के तहत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त परिवादी को कुल राशि 3,35,925/– रूपये की राशि प्रतिकर के रूप में अपीलावधि पश्चात अदा करे।

अभियुक्त का धारा–468 भा0ना0सु0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर अभिलेख के साथ संलग्न किया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

श्रीति अतुलकर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दतिया म0प्र0

SHRITI ATULKAR
Digitally signed by SHRITI ATULKAR
Date: 2025.10.25 17:22:13 +0530